न्यायालयः– सिविल न्यायाधीश, वैर, जिला भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नमोनारायण मीणा, आर.जे.एस.

विविध दीवानी प्रकरण संख्या : 31 / 2025

सी.आई.एस. नं. : 31 / 2025

01. नवाब सिंह पुत्र सुखराम,
02. सिंगारी पत्नी सुखराम,
03. अरनादेवी पुत्री सुखराम,
04. कमला पुत्री सुखराम,
05. गुड्डी पुत्री सुखराम,
06. जमुना पुत्री सुखराम,
07. बबली पुत्री सुखराम,

निवासीयान ग्राम बझेरा खुर्द, तहसील वैर, जिला भरतपुर।

––**वादीगण / सायलान**

बनाम

01. रोशन पुत्र दयाराम, निवासी ग्राम बझेरा खुर्द, तहसील वैर, जिला भरतपुर।
02. सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय वैर।
03. अधिशाषी अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय वैर।
04. कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय वैर।

––**प्रतिवादीगण / गैरसायलान**

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

उपस्थितः–

1. श्री हरवीर सैनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हेमसिंह मीणा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से।
3. श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 लगायत 4 की ओर से।

–::आदेश::– **दिनांक 06.04.2026**

01. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वाके ग्राम बझेरा खुर्द तहसील वैर में स्थित खाता संख्या 122 नया व खाता संख्या 22 पुराना के कुल खसरों की संख्या 62 जिनकी कुल रकबा 6.9400 हैक्टेयर है, जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 रोशन के अलावा अन्य सहखातेदारान की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य

जायदाद है, जिसके प्रत्येक अंश भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन कब्जा काश्त है। नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण भरतपुर में रहकर अपना अलग अलग व्यवसाय करते हैं जो समय समय पर अपनी आराजी की देखभाल करते चले आ रहे हैं और संयुक्त रूप से अपनी आराजी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 रोशन जो बहुत ही चतुर चालाक है, जिसने प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य उक्त आराजी के कानूनी तौर पर विभाजन नहीं होने के बावजूद प्रार्थीगण की लाइल्मी में चुपचाप बिना प्रार्थीगण की सहमति से उक्त खाते की आराजी संख्या 597 रकबा 0.2500 हैक्टेयर की भूमि में डीपबोर कराकर उसमें कृषि विद्युत कनेक्शन लेने हेतु अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के कार्यालय में पत्रावली जमा करा दी, जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व इनके अधीनस्थ कर्मचारी साइड देखकर तकमीना बनाकर ले गए। प्रार्थीगण दिनांक 17.10.2025 को अपने गांव बझेरा खुर्द अपनी आराजी में फसल बुवाने हेतु आए तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत तरीके से कृषि विद्युत कनेक्शन लेने की उपरोक्त जानकारी हुई, तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से कहासुनी की और कहा कि उसने उनकी बिना सहमति के उक्त आराजी में डीपबोर कराकर विद्युत कनेक्शन हेतु पत्रावली जमा क्यों कराई तो अप्रार्थी संख्या 1 ने खुलेआम धमकी दी कि जो चाहे कर लो वह तो कनेक्शन लेकर ही रहेगा। तब प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के कार्यालय वैर पर आए और उनसे निवेदन करते हुए मौखिक रूप से इस बाबत शिकायत की तो उन्होंने भी धमकी दी कि वह अपनी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। उनके पास उक्त कनेक्शन की जमा पत्रावली में कोई कमी नहीं है। तब प्रार्थीगण ने कहा कि उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है। तब भी नहीं माने और कहा कि वह तो अतिशीघ्र डिमांड नोटिस निकालकर व डिमांड नोटिस की राशि जमा कर विद्युत कनेक्शन करके रहेंगे। अप्रार्थीगण अपनी धमकी की उपरोक्त मंशा में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को भारी अपरिमित क्षति होगी और प्रार्थीगण अपनी आराजी से सदा सदा के लिए महरूम व बेदखल हो जाएंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार के रुपए पैसों से नहीं आंकी जा सकेगी। वदी वजह प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध लाना लाजिमी हुआ है, जिसके लिए प्रार्थीगण अपने हितों की रक्षार्थ हेतु खसरा नंबर 597 में लगे डीपबोर में अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 को कृषि विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने के लिए ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। प्राइमाफेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद इस अम्र से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम बझेरा खुर्द तहसील वैर में स्थित खसरा नंबर 597 की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई कृषि विद्युत कनेक्शन डीपबोर के लिए प्रतिवादी गैरसायल संख्या 1 जारी नहीं कराए और ना ही प्रतिवादी गैरसायल संख्या 2, 3, 4 कोई विद्युत कनेक्शन जारी करें। मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

02. इसके विपरीत प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 रोशन द्वारा प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि मौके पर सभी खातों का मनबट के आधार पर बंटवारा हो रहा है और मनबंट के आधार पर अपने हिस्से

पर काबिज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से में आई भूमि में अपनी फसल के लिए डीप बोर लगवाया है, जिससे अपनी फसल की सिंचाई कर सके। उपरोक्त आराजी कृषि से संबंधित है, जिसको सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को है, इसलिए उक्त मुकदमा न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं है। उक्त आराजी का खाता संख्या नया 122 में वादीगण व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 11.06.25 को लिखित में बंटवारा हो गया था, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के बीच लिखापढी हुई और जिस पर प्रार्थी नवाब सिंह के हस्ताक्षर हैं, जस पर खसरा नंबर 597 रकबा 0.2500 हैक्टेयर जिसको कारा खेत के नाम से जाना जाता है जो प्रार्थी नवाब के हिस्से में 10 बिस्वा रोशन के हिस्से में 10 बिस्वा व प्रेमसिंह के हिस्से में 10 बिस्वा आता है जो आज भी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। महज तंग व परेशान करने की नीयत से उक्त मुकदमा पेश किया है। उक्त आराजी खाता संख्या 122 में अन्य सहखातेदार भी हैं, जिनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, इसलिए मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उक्त खसरा नंबर 597 रकबा 0.2500 हैक्टेयर जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है, जो अपने हिस्से की भूमि में डीपबोर लगाकर विद्युत कनेक्शन ले रहा है, जिसको तंग व परेशान करने की नीयत तथा विद्युत कनेक्शन को रुकवाने की नीयत से महज गलत आधार पर यह मुकदमा पेश कर दिया है जो खारिज किए जाने योग्य है। अंत में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

03. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 4 की ओर से प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रतिवादी रोशन द्वारा खसरा नंबर 597 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि में विद्युत कनेक्शन लेना तथा कनेक्शन पत्रावली कार्यालय में जमा कराना स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 रोशन ने कृषि कनेक्शन हेतु पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के कार्यालय में जमा कराई है, जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को विद्युत कनेक्शन जारी किया जा रहा है। विद्युत विधि 2003 के अंतर्गत विद्युत प्रदाय व्यक्ति का मूल अधिकार है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत निर्धारित किया गया है कि मानव गरिमा मुक्त जीवन जीने के लिए विद्युत आवश्यक है, विद्युत प्रदाय से इंकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर विद्युत विभाग को विद्युत सप्लाई या कनेक्शन नहीं देने के लिए पाबंद किया गया तो इससे मानव जीवन पर प्रभाव पडेगा तथा विभाग विद्युत कनेक्शन व सप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया कि वादी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

04. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने बाबत् इस न्यायालय को निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना आवश्यक हैः–

01. प्रथम दृष्ट्या मामला,

02. सुविधा का सन्तुलन,

03. अपूरणीय क्षति।

01:– प्रथम दृष्ट्या मामला :–

इस बिंदु को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रथमदृष्टया मामले से यह अभिप्राय है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सारवान प्रश्न न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रूप से उठाया गया है, जिसका निस्तारण साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है। अर्थात् प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र के अंतर्गत यही साबित करना होगा कि उसके द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई सारवान प्रश्न सद्भाविक रूप से उठाया गया है, जिसका निस्तारण साक्ष्य से ही किया जा सकता है।

05. जहां तक प्रथमदृष्टया मामले का प्रश्न है तो प्रथमदृष्टया मामले के बिंदु को साबित करने के लिए प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तर्कों को दोहराते हुए तर्क दिए, जिसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने भी अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिए हैं और एक प्रति भी पेश की है कि विद्युत कनेक्शन उनके द्वारा सहखातेदार को भी दिया जा सकता है और कृषि कनेक्शन आवेदकों द्वारा संयुक्त जमीन होने पर सहखातेदारों की सहमति देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का पत्र क्रमांक जेपीडी/मुख्य अभियंता(सीपीएल)/अधी.अभि.(आर.ई.)/प.146/प्रे. 938 दिनांक 12.07.13 पेश किया है और आगे कथन किया है कि सहखातेदार की भूमि पर भी कृषि कनेक्शन देने का उन्हें अधिकार है। चूंकि विद्युत प्राप्त करना मूल अधिकार में भी शामिल है। इसलिए सहखातेदारी भूमि पर भी विद्युत कनेक्शन देने पर कोई रोक विभागीय या कानूनी नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 की पत्रावली वास्ते विद्युत कनेक्शन उनके समक्ष आ चुकी है और उक्त पत्रावली में डिमांड नोटिस जमा होकर सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है और विद्युत कनेक्शन का प्रस्ताव वहां पर लिया है, जहां अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना डीपबोर लगवाया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे और विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी संख्या 1 के लगाए जाने के आदेश भी दिए जावें, जिससे राजस्व की हानि नहीं होगी और अप्रार्थी संख्या 1 को उसके कृषि कार्य हेतु व अन्य घरेलू कार्य हेतु बिजली उपलब्ध हो सके।

06. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 रोशनलाल की ओर से यह तर्क दिया गया कि खसरा नंबर 597 सहखातेदारी की भूमि है और जो जमाबंदी से स्पष्ट है, जिसका मनबंट के आधार पर सभी सहखातेदारों ने राजीखुशी बंटवारा कर लिया है और जिसका लिखित बंटवारानामा भी अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश किया गया है, जिसमें उसने तर्क दिया है कि खसरा नंबर 597 की भूमि कारा खेत के नाम से जानी जाती है, जिसमें 10 बीघा हिस्सा स्वयं का है। चूंकि सभी खेतों को बांट लिया है और उक्त खेत पर भी रोशन, प्रेमसिंह और नवाब सिंह ने मनबंट के आधार पर अलग–अलग हिस्से करके बंटवारा कर लिया है और अब अप्रार्थी ने जो बोर कटाया है वह मनबंट के आधार पर उसे जो भूमि मिली है, जिसको वह लंबे समय से जोतता–बोता चला आ रहा है, उसी पर उसने डीपबोर लगवाया है और उसी पर विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है तथा विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग देने को तैयार है। लेकिन प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से चिढता है, इसलिए जानबूझकर तंग, परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि उसे इस विद्युत कनेक्शन से कोई हानि नहीं हो रही है, न ही कोई विपरीत प्रभाव पडने वाला है। चूंकि खसरा नंबर 597 में प्रार्थी का भी हिस्सा है और अप्रार्थी संख्या 1 का भी हिस्सा है। अभी जो विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है वह खसरा नंबर 597 पर दिया जा रहा है जो

वर्तमान में मनबंट के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आया है और अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जब मौके पर डीपबोर कटवाया तो प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई थी और यदि किन्हीं परिस्थितिवश विद्युत कनेक्शन लगा हुआ वह क्षेत्र प्रार्थीगण के हित में चला जाता है तो विद्युत कनेक्शन को दूसरी जगह लगाया जा सकता है, जिस पर विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि सम्पूर्ण खसरा एक ही है, उस खसरे में कहीं पर भी विद्युत कनेक्शन संचालित किया जा सकता है। जब तक प्रार्थी कानूनी बंटवारा नहीं करा लेता है, तब तक विद्युत कनेक्शन लगने से उसे नहीं रोके जाने का निवेदन किया। यदि विद्युत कनेक्शन नहीं लगने दिया तो आगामी फसल खराब हो जाएगी, सूख जाएगी और अप्रार्थी संख्या 1 एकमात्र कृषि पर आधारित है। उसकी आजीविका का साधन ही कृषि है। यदि उसे विद्युत कनेक्शन नहीं मिला तो उसे प्रार्थीगण के बजाय अधिक हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो पाएगी। चूंकि जो इस वर्ष कृषि होनी है वह नहीं हो पाएगी, जिसकी आगे कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। यदि विद्युत कनेक्शन दिया जाता है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। चूंकि विद्युत कनेक्शन ऐसा नहीं है कि वह खसरा नंबर 597 के एक सुनिश्चित भाग पर मिला है, वह खसरा नंबर 597 पर दिया गया है जिसे भविष्य में हटाया भी जा सकता है और परिवर्तित भी किया जा सकता है और इस तथ्य को विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से यह भी तर्क दिया है कि उनके द्वारा जो भी विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं, वह नियमों के अधीन रहते हुए दिए जाते हैं। विद्युत अधिनियम के सभी सिद्धांतों की पालना की जाती है एवं राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के अधीन ही कार्य किया जाता है, जिससे किसी भी पक्षकार को कोई हानि नहीं होती है। इस प्रकार तीनों की ओर से जो तर्क दिये गए हैं इन तर्कों पर गौर किया तो यहां प्रार्थीगण ने यह प्रकट नहीं किया है कि प्रथमदृष्टया मामला उसके पक्ष में कैसे बनता है, जबकि यह प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी, नक्शा ट्रेस से ही स्पष्ट है कि खसरा नंबर 597 में प्रार्थी का 1/42 हिस्सा भूमि है और अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें क्षेत्रीय तहसीलदार का प्रमाण पत्र है जो रोशन के नाम से है, जिसमें उसका हिस्सा 1/42 यानी 0.2500 हैक्टेयर एसबीआई बैंक भुसावर में रहन रखा गया है एवं प्रार्थी यह भी स्वीकार करता है कि जो बंटवारा राजीनामा पक्षकारों के मध्य हुआ था उसको कारा खेत के नाम से खसरा नंबर 597 के रूप में जाना जाता है और यह भी प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि उसमें तीन हिस्से हैं जिसमें एक प्रेमसिंह, दूसरा रोशन व तीसरा नवाबसिंह का है अर्थात् प्रार्थी स्वयं यह मानता है कि अप्रार्थी संख्या 1 उस खसरे का हिस्सेदार है और उक्त राजीनामे पर नवाबसिंह, रोशन दोनों के हस्ताक्षर हैं। चूंकि हिस्सा कारा खेत का नवाबसिंह प्रार्थी के हक में आया है उतना ही हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 रोशन के हिस्से में आया है और उतना ही हिस्सा प्रेमसिंह के हिस्से में आया है, लेकिन प्रेमसिंह द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, न ही प्रेमसिंह को पक्षकार मुकदमा बनाया है और न ही प्रार्थीगण ने यह प्रकट किया है कि यदि अप्रार्थी को विद्युत कनेक्शन दिया जाता है तो प्रार्थी को किस प्रकार हानि होगी या अपूरणीय क्षति होगी एवं किस प्रकार उसका प्रथमदृष्टया मामला बनता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है और मनबंट के आधार पर उसे यह क्षेत्र दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा डीपबोर कटवाया गया और विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 से प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रकार

प्रथमदृष्टया मामले के बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई अब तक की दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो यहां प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामले के बिंदु को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जहां तक अन्य तथ्य जो उठाए हैं बंटवारे का बिंदु पृथक से उठाया है, वह सभी की साक्ष्य आने के बाद ही तय होने वाले तथ्य हैं, जिन पर इस स्तर पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर जहां प्रकरण राजस्व न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार का है, तो यह भी मूलवाद में साक्ष्य आने पर तय किया जाएगा, बल्कि इस स्तर पर प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में बिंदुओं का अवलोकन करें तो प्रथम दृष्टया मामले का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

07. यदि जहां तक विद्युत कनेक्शन लेने का प्रश्न है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने भी स्पष्ट किया है कि सहखातेदारों को विद्युत कनेक्शन देते समय सहखातेदारों की सहमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनबंट का बंटवारा प्रथमदृष्टया पत्रावली पर है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 1 विद्युत कनेक्शन लेने और विद्युत कनेक्शन का उपयोग करने का अधिकारी इस स्तर पर प्रकट होता है, जब तक कि मामले का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता है। ऐसे में जहां अप्रार्थी संख्या 1 के पास विद्युत कनेक्शन लेने का अधिकार है और अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पास देने का अधिकार हो एवं उससे प्रार्थीगण को कोई हानि प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होती हो, वहां प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया मामले का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

08. ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

<u>02:– सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षतिः–</u>

उक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित होने से दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होना विद्युत कनेक्शन लगने से प्रकट नहीं होता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 विद्युत कनेक्शन लेता भी है तो उससे प्रार्थीगण को किस प्रकार हानि होगी, यह प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है, मात्र प्रार्थीगण यह चाहते हैं कि उसे विद्युत कनेक्शन नहीं मिले, जबकि विद्युत कनेक्शन को एक–दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन डीपबोर लग चुका है, उसमें प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है और जहां तक अपूरणीय क्षति व हानि के प्रश्न को देखें तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने मनबंट के आधार पर आए हिस्से पर डीपबोर लगवा लिया है। यदि वहां पर विद्युत कनेक्शन नहीं होता है तो अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि सूख जाएगी, कृषि के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा और जो डीपबोर लगवाया गया है, उसका भी उपयोग अप्रार्थी संख्या 1 नहीं कर पाएगा और यदि अप्रार्थी अपने मनबंट के आधार पर आए हिस्से खसरा नंबर 597 पर विद्युत कनेक्शन लगवा लेता है तो उससे किसी भी पक्षकार को कोई विशेष हानि होना भी प्रकट नहीं होता है, न ही प्रार्थीगण ने ऐसा दर्शित किया है कि उन्हें किस प्रकार हानि होगी, बल्कि यदि विद्युत कनेक्शन को इस स्तर पर रोका जाता है तो प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण को अधिक हानि होने की संभावना बनी रहेगी। चूंकि प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में पूर्व में विस्तार से विवेचन किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में

प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति होना भी प्रथम दृष्टया जाहिर नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेशः–

09. अतः प्रार्थीगण नवाबसिंह वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण रोशन वगैरह अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली इस प्रकरण के मूलवाद की पत्रावली के संलग्न की जावे।

(नमोनारायण मीणा)
सिविल न्यायाधीश,
वैर जिला भरतपुर

10. यह निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमोनारायण मीणा)
सिविल न्यायाधीश,
वैर जिला भरतपुर